कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–1947 /FP/UK/ROAD/22245/2016:देहरादून:दिनांकः 14 जनवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.629 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 72 / 2017 / एफ0सी0 / 1989 दिनांक 26–02–2018.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 3.258 हे0 ग्राम आमड़ी सिविल सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 9,07,891.00 (नौ लाख सात हजार आठ सौ इक्कानबे) मात्र ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख, खसरा–खतौनी की नकल संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या**–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 13,76,505.00 (तेरह लाख छियत्तर हजार पांच सौ पांच) मात्र ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कुल जमा की गई धनराशि रू0 22,84,396.00 मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित strip plantation की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन भाग–1 में प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले रोजगार का विवरण यथास्थान संशोधित कर अंकित कर दिया गया है।
7. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–2 के पैरा–13 (iii) में तकनीकी कठिनाई के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र अपलोड न होने की दशा में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**
8. **शर्त संख्या–8** की अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड न होने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–6)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न यथोपरि।</u>

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 1947/ FP/UK/ROAD/22245/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर, मु0–कीर्तिनगर।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

Desktop\S daily work